प्रेस नोट
दिनांक 03.08.2026

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 160/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 324(2) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त–अतुल कुमार तिवारी पुत्र विजयानन्द तिवारी, निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी लवकुश मिश्रा पुत्र रामप्रताप मिश्रा निवासी ग्राम मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 29.07.2026 को रात्रि लगभग 11:00 बजे वह अपने साथियों चन्द्रकेश्वर तिवारी उर्फ अन्नी एवं विकास तिवारी के साथ आर्यनगर, गोण्डा स्थित इफको खाद भंडार के पास एक ढाबे पर बैठा था। उसी दौरान अभियुक्तगण विजयानन्द तिवारी, देवानन्द तिवारी, चेतनानन्द तिवारी, राजन उर्फ विकास तिवारी, अतुल कुमार तिवारी, अंकुर तिवारी तथा 10–12 अज्ञात व्यक्ति दो स्कॉर्पियो एवं एक बोलेरो वाहन से आए और गाली–गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर आरोपितों ने चाकू, गड़ासा, लोहे की रॉड, लाठी–डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिससे चन्द्रकेश्वर तिवारी उर्फ अन्नी, विकास तिवारी तथा वादी लवकुश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के दौरान आरोपितों ने चन्द्रकेश्वर तिवारी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.08.2026 को थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान के दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त अतुल कुमार तिवारी पुत्र विजयानन्द तिवारी, निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा को आर्यनगर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अतुल कुमार तिवारी पुत्र विजयानन्द तिवारी, निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–160/2026, धारा 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 324(2) बीएनएस थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. अ0नि0 राधेश्याम यादव।
02. उ0नि0 अमरजीत सोनकर।

03. उ0नि0 श्रीकृष्ण।
04. का0 ऋषित कुमार।
05. का0 विपिन यादव।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>

प्रेस नोट
दिनांक 03.08.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक दवाच्याँ के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–173/2026 धारा 108 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त रामनेवास सोनकर पुत्र करिया सोनकर निवासी ग्राम मिसरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को विद्यानगर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
वादी करन पुत्र श्री राघवराम निवासी ग्राम दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी रामनेवास सोनकर पुत्र करिया सोनकर निवासी ग्राम मिसरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा, वादी की पुत्री से प्रेम करता था तथा उससे विवाह करने की बात कहता था। वादी के अनुसार जब परिजनों को उक्त संबंध की जानकारी हुई तो पुत्री द्वारा रामनेवास सोनकर से विवाह करने के लिए कहा गया, जिस पर आरोपी द्वारा विवाह करने से मना करते हुए कथित रूप से अपमानजनक बातें कहीं गईं, जिससे क्षुब्ध होकर दिनांक 23.07.2026 को समय करीब 04:00 बजे शाम वादी की पुत्री ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.08.2026 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नामजद आरोपी अभियुक्त रामनेवास सोनकर पुत्र करिया सोनकर निवासी ग्राम मिसरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को विद्यानगर बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–
1. रामनेवास सोनकर पुत्र करिया सोनकर निवासी ग्राम मिसरौलिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा

सम्बन्धित अभियोग–
1. मु0अ0सं0–173/2026, धारा 108 बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–
01. व0उ0नि0 रामभवन पासवान
02. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 03.08.2026</u>

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अवैध खनन, मारपीट व जानलेवा हमले के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 461/2026 धारा 191(2),352,109(1),121(1),132,61(2) बीएनएस व 4/21 खनिज अधिनियम– 1957 व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तगण– 01. एजाज पुत्र अहमद, 02. वसीर खान उर्फ सोनू पुत्र रशीद खान, 03. फजलू रहमान पुत्र सम्मीउद्दीन को वी0वी0 सिंह पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना करनैलगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बटौरा बख्तावर सिंह (चौकी बालपुर) के पास दिनांक 31.07.2026 की रात्रि लगभग 01:00 बजे खान अधिकारी गोण्डा श्री अभय रंजन द्वारा टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर एक जेसीबी मशीन एवं दो ट्रैक्टर–ट्रॉली मिट्टी लदी हुई अवैध रूप से मिट्टी का खनन एवं परिवहन करते हुए पायी गयीं। जेसीबी चालक से मिट्टी खनन से संबंधित वैध अनुमति/अभिलेख मांगे जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना अनुमति उपखनिज मिट्टी का खनन एवं परिवहन किया जाना पाए जाने पर कार्यवाही की गयी। इसी दौरान जेसीबी चालक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा टीम के साथ गाली–गलौज, धक्का–मुक्की करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी तथा जेसीबी से टीम के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया गया। घटना के दौरान जेसीबी चालक एवं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गये। पुलिस टीम द्वारा मौके से जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर थाना करनैलगंज में दाखिल किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.08.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस टीम द्वारा घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों–01. एजाज पुत्र अहमद, 02. वसीर खान उर्फ सोनू पुत्र रशीद खान, 03. फजलू रहमान पुत्र सम्मीउद्दीन को वी0वी0 सिंह पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. एजाज पुत्र अहमद निवासी बटौरा बख्तावर सिंह, जोरपुरवा, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा।
02. वसीर खान उर्फ सोनू पुत्र रशीद खान निवासी मुक्तारगंज हाता हलधरमऊ, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।
03. फजलू रहमान पुत्र सम्मीउद्दीन निवासी जोरपुरवा बटौरा बख्तावर सिंह, जनपद गोण्डा।

सम्बन्धित अभियोग–

1. मु0अ0सं0–461/2026 धारा 191(2),352,109(1),121(1),132,61(2) बीएनएस व 4/21 खनिज अधिनियम– 1957 व 7 सीएलए एक्ट थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 रोहित रणवीर

02. उ0नि0 अखिलेश कुमार मौर्य
03. हे0का0 प्रवीण कुमार सिंह
04. का0 राजकुमार दूबे
05. का0 सत्येन्द्र कुमार तृतीय
06. का0 रामजी शुक्ला
07. रि0का0 अशोक कुमार

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 03.08.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 22.07.2021 को थाना तरबगंज जनपद गोण्डा पर वादी तिलकराम पुत्र जंगू निवासी उदवत नगर (इन्द्रानीपुरवा), थाना तरबगंज द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वह अपने घर का बरसाती पानी बाहर निकाल रहा था। इसी दौरान विपक्षीगण अमरेज पुत्र विदेशी, महेश व राजेश पुत्रगण अमरेज तथा अमरेज की पत्नी एक राय होकर उसके घर के पानी निकास को रोकने लगे। विरोध करने पर विपक्षीगणों द्वारा वादी के साथ गाली–गलौज की गयी तथा अमरेज द्वारा लोहे की सरिया एवं महेश द्वारा चाकू से हमला किया गया। वादी की पत्नी सुनीता बीच–बचाव करने आयी तो उसके साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अमरेज व महेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.10.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 03.08.2026 को थाना तरबगंज में पंजीकृत जानेलवा हमला सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री वंसत शुक्ला, थाना तरबगंज के पैरोकार हेड का0 सोनू कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 मारकण्डेय सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा अभियुक्त अमरेज व महेश को दोषसिद्ध करते हुए 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 15,000–15,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता–
01. अमरेज पुत्र विदेशी नि0 इन्द्रानीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. महेश पुत्र अमरेज नि0 इन्द्रानीपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–205/21, धारा 323,324,307,504 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.08.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 02 दहेज हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 249/2026 धारा 80(2), 85, 115(2), 352, 351(3) व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 02 दहेज हत्याभियुक्तों–01. राम लौटन पुत्र स्व0 दुखीराम, 02. जानकी पत्नी राम लौटन को ग्राम रामपुर बल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादिनी पूनम पत्नी राकेश निवासी ग्राम जलालपुर, टेपरहन पुरवा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री नेहा का विवाह लगभग एक वर्ष पूर्व संतोष पुत्र राम लौटन पासवान निवासी ग्राम रामपुर बल्लीपुर थाना नवाबगंज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में 5 लाख रुपये एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर नेहा को प्रताड़ित किया जाने लगा।वादिनी के अनुसार दहेज की मांग पूरी न होने पर पति संतोष, सास जानकी, ससुर राम लौटन एवं ननद ऊमा व रूमा द्वारा नेहा के साथ मारपीट व उत्पीड़न किया गया। पति संतोष के दुबई चले जाने के बाद भी वह फोन के माध्यम से गाली–गलौज कर दहेज की मांग करता था। दिनांक 07.07.2026 को नेहा ने फोन पर बताया कि सास, ससुर एवं ननदों ने उसके साथ मारपीट की तथा खाना भी नहीं दिया। ससुरालीजनों की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दिनांक 08.07.2026 को नेहा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 03.08.2026 को थाना नवाबंज पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दहेज हत्याभियुक्तों– 01. राम लौटन पुत्र स्व0 दुखीराम, 02. जानकी पत्नी राम लौटन को ग्राम रामपुर बल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राम लौटन पुत्र स्व0 दुखीराम, निवासी ग्राम रामपुर बल्ली, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
02. जानकी पत्नी राम लौटन, निवासी ग्राम रामपुर बल्ली, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–249/2026 धारा 80(2), 85, 115(2), 352, 351(3) व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 गौरव सिंह।
02. हे0का0 जनार्दन यादव।
03. हे0का0 मिथिलेश यादव।
04. म0का0 नीलू सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 03.08.2026</u>

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 40,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
थाना मनकापुर में नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली निवासी मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर, गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना मनकापुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री सुनील मिश्रा व श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0 का0 वंदना व थाना मनकापुर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 03.08.2026 को दोषी अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अजीवन कारावास व 40,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण–
01. फैय्याज उर्फ नक्कन पुत्र मोहर्रम अली निवासी मिर्जा का पुरवा ऐलनपुर ग्रण्ट थाना मनकापुर, गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0– 92/2021 धारा 376(2)(एन), 313, 504, 506 भा0द0वि0 व 5(जे)(2)/6 पॉक्सो एक्ट, थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 03.08.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्तों को हुई 07–07 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 8,000–8,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 30.04.2019 को वादी नान्हू पुत्र बाबूराम की तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियुक्तगण ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद पुत्र रामप्रसाद एवं विनोद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासीगण मुन्शी पुरवा, मौजा चौदहा, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न एवं विवाहिता की हत्या किए जाने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 14.06.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 03.08.2026 को अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह, थाना कटराबाजार के पैरोकार हेड का0 सुनील कुमार शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0मु0आ0 मीरा यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा महोदय श्री मनोज कुमार द्वारा दहेज हत्याभियुक्तों–लक्ष्मी प्रसाद, विनोद व ज्ञानू को दोषसिद्ध करते हुए 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 8,000–8,000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. लक्ष्मी प्रसाद पुत्र राम प्रसाद नि0 मुन्नी पुरवा मौजा चौदहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. विनोद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद नि0 मुन्नी पुरवा मौजा चौदहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. ज्ञानू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद नि0 मुन्नी पुरवा मौजा चौदहा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–104/19, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।